प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट में 2008-17 की अवधि के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं के निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां शामिल हैं। इस रिपोर्ट में वे उदाहरण उल्लिखित हैं जो 2008-17 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा जाँच के क्रम में संज्ञान में आए थे, साथ ही साथ पूर्व के वर्षों में जो संज्ञान में तो आए थे लेकिन जिनकी सूचना पिछले लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं दी जा सकी थी। वर्ष 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां तक आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा की गई है।